झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक अपील (खण्डपीठ) सं. 1029 वर्ष 2017

(सत्र विचारण सं. 131 वर्ष 2016 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-IV, गढ़वा द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 16-02-2017 तथा दिनांक 21-02-2017 के विरूद्ध)

सत्य नारायण सिंह, पुत्र स्व. मुंशी सिंह, निवासी गाँव- तोरे लावा, डाकघर तथा थाना खरौंधी, जिला गढ़वा

----------अपीलार्थी

बनाम

झारखण्ड राज्य ----------प्रत्यर्थी

निर्णीत

मा. श्री न्यायामूर्ति सुजीत कुमार प्रसाद

मा. श्री न्यायामूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलार्थी के लिए : श्री आकाश दीप, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी - राज्य के लिए : श्री भोला नाथ ओझा , अपर.लोक.अभियोजक.

सी.एस.वी/ 29-02-2024 को निर्णय
बाद में दिये जाने के लिए छोड़ना --- 14/03/2024 को सुनाया गया

द्वारा सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति :-

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन वर्तमान अपील जी.आर मामला सं. 80 वर्ष 2016 के अनुरूप खरौंधी थाना मामला सं. 04 वर्ष 2016 के उद्भूत सत्र निवारण सं. 131 वर्ष 2016 में विद्वान अपर सेशन जज-VI द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 16-02-2017 तथा दण्डादेश दिनांक 21-02-2017 के विरूद्ध अधिमानित किया गया है, जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत, अपीलार्थी को भा.द.सं. की धारा 302 के अधीन किये गये अपराध हेतु रु -20,000/- के जुर्माना के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया गया है एवं जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में रु-20,000/- का प्रतिकर इसे दोषसिद्धि के चल तथा अचल सम्पत्ति से वसूल किये जाने का निदेश दिया गया है।

तथ्य :

2. इत्तिला देने वाले द्वारा किये गये अभिकथन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कहानी निम्नवत पठित हैः

7-01-2016 को लगभग 9 बजे रात में अभियुक्त सत्य नारायण सिंह तथा मृतक दीनानाथ सिंह का झगड़ा हुआ है इसके बाद इन लोगो ने शराब पीया है। दीना नाथ सिंह न पढ़ने के लिए अपने बच्चे को डाट रहा था तथा इस पर सत्य़ नारायण सिंह ने प्रसन्न/ निश्चिन्त/ खुश महसूस नही किया था। वह क्रोधित हो गया था तथा अपने घर से टांगी लाया था तथा लगातार टांगी से दीनानाथ सिंह पर हमला किया था। वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, गिर पड़ा था तथा बेहोश हो गया था। इसकी पत्नी ने गुहार लगाना आरंभ किया था। पड़ोसी लोग वहाँ एकत्रित हो गये थे तथा टेम्पो की व्यवस्था की गई थी तथा दीना नाथ सिंह को भवनाथपुर हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ से इस गढ़वा हॉस्पिटल सौपा गया था। अस्पताल जाते समय, वह मेरल के निकट मर गया था। तत्पश्चात् ये लोग गाँव वापस चले गये थे।

इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर भा.द.सं. की धारा 302 के अधीन प्र.सू.रि. खरौधी थाना मामला सं. 04 वर्ष 2016 दिनांक 8-01-2016 के रूप में पंजीकृत किया गया था। तद्नुसार, विचारण अग्रसर हुआ था तथा अपीलार्थी को भा.द.सं. की धारा 302 के अधीन अपराध हेतु दोषी पाया गया था तथा इसके दृष्टिगत, रु- 20,000/- के जुर्माना के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था।

अपीलार्थी की ओर से लिया गया आधारः

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए निम्न आधारो को लिया है।:

(i) आधार लिया गया है कि अभियोजन विवरण को सही स्वीकार किये जाने पर भी आशय के साथ हत्या करने के लिए भा.द.सं. की धारा 300 का संघटक उपलब्ध नही है।;

(ii) अ.सा. 08, अन्वेषण अधिकारी तथा अ.सा. 06 के परिसाक्ष्य में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ऐसे समय पर टांगी से मृतक दीनानाथ सिंह पर हमला किया है जब वह न पढ़ने के लिए अपने बच्चे को डाट रहा था तथा इस पर, अपीलार्थी क्रोधित

हो गया था तथा इस पर हमला किया था। स्वयं इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मृतक की हत्या करने में मन का पूर्वचिंतन नही था।;

इसलिए, अधिक से अधिक, इसे भा.द.सं. की धारा 300 के अपवाद का मामला कहा जा सकता है तथा इसलिए, अपीलार्थी को भा.द.स. की धारा 304 भाग (ii) के अधीन दोषसिद्धि किया जा सकता है।

(iii) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चुँकि अपीलार्थी पहले से लगभग 8 वर्षो से अभिरक्षा में रहा है, इस प्रकार दोषसिद्धि के निर्णय को भा.द.सं. की धारा 304 भाग (I) या 304 भाग (II) में उपांतरित करते हुए उपांतरित किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी की ओर से लिया गया आधार :

4. जबकि दूसरी तरफ, श्री भोला नाथ ओझा, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निम्न आधारो को लिया है :

(i) यह निवेदन किया गया है कि यह हत्या करने के आशय से हत्या करने का मामला है जो साक्षीगण के परिसाक्ष्य से स्पष्ट होगा यदि एक साथ लिया जाता है;

(ii) इत्तिला देने वाले तथा अन्वेषण अधिकारी ने अभियोजन विवरण का समर्थन किया है।

(iii) अपीलार्थी ने मृतक की हत्या करने के आशय से हत्या किया है, अन्यथा अपीलार्थी के लिए टांगी के साथ आने तथा टांगी प्रहार करने का कोई कारण नही था;

5. पूर्वोक्त आधारो पर आधारित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि इसलिए दोषसिद्धि का निर्णय साक्षीगण के परिसाक्ष्य पर आधारित है तथा यदि इस विचार पर, विदवान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि वर्तमान मामला हत्या करने के आशय से हत्या किये जाने के बारे में है, इसे त्रुटि से ग्रसित नही कहा जा सकता है।

विश्लेषण :

6. इस न्यायालय ने दोनों पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, पक्षकारो के प्रतिद्वन्दी निवेदनो / आधारो जैसा एतस्मिन उपरोक्त निर्दिष्ट है तथा आक्षेपित आदेश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष का मूल्यांकन किया है।

7. इस न्यायालय के आक्षेपित आदेश के वैधता तथा औचित्य पर आने के पहले यह विचार है कि साक्षीगण का परिसाक्ष्य निम्नवत इसमें निर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता है:

(I) अ.सा. 01 मरांगी देवी है। अपने मुख्य परीक्षा में इसने कहा है कि सत्य नारायण सिंह ने टांगी से दीना नाथ के सिर पर हमला किया था । इसने घुटने पर टांगी से प्रहार भी किया है। दीना नाथ सिंह गिर पड़ा था। हो हल्ला पर लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। दीनानाथ सिंह को इलाज हेतु भवंतपुर हॉस्पिटल ले जाया गया था। जब दीना नाथ सिंह को भवंतपुर हॉस्पिटल से गढ़वा लाया जा रहा था, वह रास्ते में मर गया था।

अपने प्रति-परीक्षा में इसने कहा है कि सत्य नारायण तथा दीनानाथ भाई है। पहले कोई विवाद नही था। अपने प्रति-परीक्षा के पैरा-5 इसने कहा है कि न तो मृतक ने न ही अभियुक्त ने उस दिन शराब पीया था। अपने प्रति परीक्षा के पैरा-7, इसने कहा है कि इसने टांगी से सत्य नारायण पर हमला होते देखा है।

(II) अ.सा.02 रामदास सिंह है। अपने मुख्य परीक्षा में इसने कहा है कि लगभग 9 बजे रात में वह अपने घर पर था। इसने हो हल्ला सुना था। वही दीनानाथ सिंह के पास गया था। इसने देखा कि दीनानाथ गिर पड़ा है। अभियुक्त सत्य नारायण सिंह ने इसकी हत्या टांगी से किया है। दीनानाथ सिंह के सिर पर एक प्रहार तथा एक दूसरा प्रहार जांघ पर पहुँचा है। जब वह वहाँ पहुँचा था, दीनानाथ सिंह खून से तरवितर था। इसे गमछा से बाँधा गया था तथा इसे भवंतपुर हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ से इसे गढ़वा सौपा गया था। रास्ते में वह मर गया था। इसने आगे कहा है कि जब दीनानाथ अपने बच्चे को डाट रहा था, सत्य नारायण ने टांगी से इस पर हमला किया था।

अपने प्रति-परीक्षा में, वह यह नही बता सका कि क्या दोनो भाईयो ने उस दिन शराब पीया था। इसके स्थान पर पहुँचने के पहले, दीनानाथ सिंह गिर पड़ा है। अपने प्रति परीक्षा के पैरा 15 में इसने कहा है कि वह स्वयं न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के लिए आया है तथा दीनानाथ के परिवार ने इसे नही लाया है।

(III) अ.सा.03 राम विलास सिंह है। अपने मुख्य परीक्षा में इसने कहा है कि इसे ज्ञात हुआ था कि सत्य नारायण सिंह ने टांगी से दीनानाथ सिंह पर हमला किया है जिसके कारण दीनानाथ सिंह की मृत्यू हुई है।

अपने मुख्य परीक्षा में इसने कहा है कि इसने अभियुक्त को पहचाना है क्योकि वह इसके गाँव से है।

(IV) अ.सा.04 राम पुरन सिंह है। अपने मुख्य परीक्षा में इसने कहा है कि मृतक तथा अभियुक्त धान की कटाई करने के बाद लौटे है। इन लोगो ने सायंकाल में झगड़ा किया था तथा सत्यनारायण सिंह द्वारा दीनानाथ सिंह पर हमला टांगी द्वारा किया गया था। दीनानाथ सिंह बेहोश हो गया था। जब दीनानाथ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, वह रास्ते में मर गया था। वह झगड़े का कारण नही बता सका है।

अपने प्रति परीक्षा में इसने कहा है कि घटना के समय वह अपने घर में था। अपने प्रति परीक्षा के पैरा 5 में, वह यह नही बता सका कि क्या सत्य नारायण सिंह तथा दीनानाथ सिंह ने घटना के दिन को सायंकाल में शराब पीया था। अपने प्रति परीक्षा के पैरा 6 में वह अन्य व्यक्तियो का नाम नही बता सका कि कौन दीनानाथ पर हमला करने के बाद इसके घर में एकत्रित हुआ है। इसने स्वीकार किया है कि इसने सत्य नारायण सिंह की शिनाख्त किया है क्योकि वह इसके गाँव से है।

(V) अ.सा. 05 मृतक दीनानाथ सिंह का पिता तुलसी सिंह है। अपने मुख्य परीक्षा में, इसने कहा है कि दीनानाथ इसका पुत्र है जबकि सत्यनारायण इसका भतीजा था। दीनानाथ की हत्या सत्यनारायण द्वारा टांगी से की गई थी। दीनानाथ पढ़ने कें संबंध में अपने पुत्र रेगां को डाट रहा था। इस पर सत्य नारायण क्रोधित हो गया था तथा दीना नाथ के सिर पर टांगी से हमला किया था तथा रक्तस्राव शुरू हो गया था। दीनानाथ को भवनाथपुर हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ से इसे गढ़वा सुपुर्द किया गया था तथा रास्ते में वह रमुना के निकट मर गया था।

अपने प्रति परीक्षा में इसने कहा है कि ये दोनो एक साथ काम नही किया करते थे। कोई पहले का विवाद नही था। घटना के दिन को, इन लोगो ने एकसाथ शराब नही पीया है। इसने यह भी कहा है कि घटना के समय पर वह सोया नही है। जब सत्यनारायण दीनानाथ पर हमला कर रहा था, वह वहाँ था। स्वयं झगड़े के अनुक्रम में, इसने दीनानाथ सिंह पर हमला किया था।

(VI) अ.सा. 06 मृतक की पत्नी तथा इस मामले के बारे में इतिला देने वाली लीलादेवी है। अपने मुख्य परीक्षा में इसने कहा है कि मृतक इसका पति था तथा घटना जनवरी 2016 में 7 बजे अपराहन घटित हुई थी। उस समय, वह घर में थी। सत्य नारायण ने इसके पति के सिर तथा घुटने पर टांगी से हमला किया था। दीनानाथ सिंह गिर पड़ा था। इसे टेम्पो में भवनाथपुर हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ इसे नगर भेजा गया था

तथा यहाँ से इसके गढ़वा हॉस्पिटल सुपुर्द किया गया था। रास्ते में दीनानाथ सिंह मर गया था। इसने आगे कहा है कि दीनानाथ सिंह पढ़ने के लिए अपने दिव्यांग पुत्र अनुज कुमार को डाट रहा था। इसका विरोध सत्य नारायण द्वरा किया गया था कि क्यो वह बच्चे को डाँट रहा है तथा इस पर सत्य नारायण सिंह ने टांगी से हमला किया था जिसके कारण मृत्यू हुई थी। इसने कहा है कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी तथा इसने पुलिस थाना में दिये गये सूचना पर अपना अंगूठे का निशान लगाया था।

अपने प्रति परीक्षा में इसने कहा है कि सत्य नारायण सिंह तथा दीनानाथ सिंह का अच्छा संबंध था। अपने प्रति परीक्षा के पैरा 8 में इसने कहा है कि घर पर लगभग पचास लोग एकत्रित हुए थे तथा सात व्यक्ति टेम्पो में इसके साथ गये। ये सभी सातो व्यक्ति पुलिस थाना में इसके साथ गये। (पैरा 9)

(VII) अ.सा. 07 डॉ. राम विनोद कुमार है जिसने दीनानाथ सिंह के शव का मृत्योपरांत परीक्षण किया है। इसने कहा है कि 8-01-2016 को इसने मृतक दीना नाथ सिंह के शव का मृत्योपरांत परीक्षण किया था तथा निम्न मृत्यु-पूर्व क्षतियाँ पाया था-

(i) दाये आँख के पाश्र्व कोण के निकट पड़े हेमाटोमा के नीचे चोट 2×2”

(ii) खोपड़ी के दाये अग्र-पाश्र्व क्षेत्र पर विदीर्णघाव 1“×2/8” मासपेशी गहरी

(iii) खोपड़ी के दाये अग्र-पाश्रव क्षेत्र पर पड़े हेमाटोमा के नीचे चोट 3“×3”

(iv) बाये घुटने के मध्य पर छिन्नघाव 2“×3“ सभी चारो अंगो में शव काठिन्य मौजूद।

मृत्यू से समय 6 से 24 घंटा

क्षतियाँ सं (i) से (iii) कठोर कुंद पदार्थ द्वारा कारित तथा क्षति सं.(iv) धारदार काटने वाला हथियार द्वारा कारित

इसकी राय में मृत्यु सदमे के कारण तथा रक्तस्राव उपरोक्त क्षतियाँ के कारण कारित हुई थी। इसने मृत्योपरोत परीक्षण रिपोर्ट को साबित किया था तथा यह प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित है।

अपने प्रति परीक्षा में इसने खण्डन किया है कि उपरोक्त क्षतियाँ धारदार गोला पत्थर पर गिरने से कारित हो सकती है तथा स्वीकार किया कि इसने हमले के हथियार को विनिर्दिष्ट नही किया है।

(VIII) अ.सा. 08 इस मामले का अन्वेषण अधिकारी चण्डेश्वर प्रसाद सिंह है। अपने मुख्य परीक्षा में, इसने कहा है कि 8-01-2016 को वह भार साधक अधिकारी खरौंधी थाना के रूप में पदस्थ था तथा खरौधी थाना मामला सं. 04/16 के अन्वेषण का कार्यभार संभाला था। इसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि इसे टेलीफोन पर चौकीदार शारदा प्रसाद जोशी से सूचना प्राप्त हुई कि दीनानाथ का शव तोरेलावा गाँव में पड़ा था। सूचना का सत्यापन करने के लिए, तोरेलावा गाँव पहुँचा था जहाँ दीनानाथ सिंह की हत्या की गई है। यहाँ इसने आगन में पड़े दीनानाथ सिंह के शव को देखा था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया था। इसके बाद शव को मृत्युपरांत परीक्षण हेतु चौकीदार शारदा प्रसाद जोशी के साथ गढ़वा हास्पिटल भेजा गया था। घटना के बारे में सूचना देते हुए मृतक की पत्नी लीलादेवी द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। लिखित रिपोर्ट में यह बताया गया था कि सत्यनारायण सिंह ने टांगी से दीनानाथ सिंह पर हमला किया है।

दीनानाथ सिंह अपने बच्चे को न पढ़ने के लिए डाँट रहा था तथा इस पर सत्य नारायण सिंह क्रोधित हो गया था तथा इस पर हमला किया था। जब दीनानाथ सिंह को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, रास्ते में वह मर गया था। अन्वेषण के दौरान इसने टांगी को अभिग्रहीत करने का प्रयास किया था लेकिन वह इसका अभिग्रहण नही कर सका था। ग्रामीणों ने इसे बताया कि सत्य नारायण सिंह घटना के बाद टांगी के साथ भाग गया है। अपने मुख्य परीक्षा के पैरा 4 में इसने घटनास्थल के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। 8-1-2016 को लगभग 8.00 बजे रात में सत्य नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अन्वेषण के अनुक्रम में, इसने मृत्योपरांत परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया था तथा इसने 9-04-2016 को दीनेश्वर प्रसाद चौरसिया को अन्वेषण का कार्यभार सौपा था। इसने लिखित रिपोर्ट पर पृष्ठांकन को साबित किया था जो प्रदर्श 2 के के रूप में अंकित है। इसने औपचारिक प्र.सू.रि. पर हस्ताक्षर को भी साबित किया था जो प्रदर्श 3 के रूप में अंकित है। इसने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सत्य नारायण सिंह की शिनाख्त किया है।

अपने प्रति-परीक्षा में इसने कहा है कि इसे बताया गया था कि मृतक तथा अभियुक्त दोनो ने घटना के दिन को शराब पीया है। वह घटना के अगले दिन लगभग

08.30-9.00 बजे प्रातःघटना स्थल पर पहुँचा है। उसी समय मृतक की पत्नी ने लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इसने साक्षीगण से पूछाँ है। अपने प्रति-परीक्षा के पैरा 14 में इसने कहा है कि इसने अभिशंसी टांगी को बरामद करने का प्रयास किया था लेकिन वही नही कर सका क्योकि अभियुक्त टांगी के साथ भाग गया है तथा पूछने पर अभियुक्त ने इसे बताया कि जब वह भाग रहा था, इसने रास्ते में कही टांगी फेक दिया है तथा वह इसे याद नही कर सका है।

(IX) अ.सा. 09 इस मामले का अन्वेषण अधिकारी दीनेश्वर प्रसाद चौरसिया है जिसने आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। अपने मुख्य परीक्षा में इसने कहा है कि इसने 19-04-2016 को इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार संभाला था। इसे केसडायरी को परीक्षा किया था तथा उपलब्ध सामग्रीयो तथा अन्य दस्तावेजो के आधार पर इसने भा.द.सं. की धारा 302 के अधीन सत्यनारायण सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र आरोप पत्र सं. 27/16 दिनांक 20-04-2016 प्रस्तुत किया था। अपने प्रति परीक्षा में इसने स्वीकार किया है कि इसने किसी साक्षीगण के कथन को लेखबद्ध नही किया है। इसने यह भी स्वीकार किया है कि न तो इसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है न ही वह घटना स्थल पर गया है।

8. यह न्यायालय पक्षकारो की ओर से पेश साक्ष्यो के मुकाबले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन या धारा 304 भाग । या भाग ॥ के अधीन अपराध करने के बारे में अपीलार्थी के सहापराधिता के संबंध में सभी अपीलार्थीगण की ओर से पेश निवेदनो का मूल्यांकन करने के लिए धारा 302 या 304 भाग । या भाग ॥ के अधीन किये जाने वाले कथित अपराध के प्रयोज्यता के संबंध में विधिक स्थिति तथा कतिपय न्यायिक निर्णयो को निर्दिष्ट करना उपयुक्त तथा उचित समझता है।

9. भारतीय दण्ड संहिता 1860 दो प्रकार के सदोष मानव वध को स्वीकार करता है। पहला हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानव वध है (भा.द.सं. की धारा 299 तथा 304) तथा दूसरा हत्या की कोटि में आने वाला सदोष मानव वध है (भा.द.सं. की धारा 300 तथा 302) भा.द.सं. की धारा 304 हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानवध हेतु दण्ड का उपबंध करता है। इसके अन्तर्गत दो भिन्न परिस्थितियो में लागू होने वाला दो प्रकार का दण्ड है :-

(i) यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की जाती है मृत्यु या इस प्रकार के शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभाब्य है कारित करने के आशय से किया जाता है, दण्ड

आजीवन कारावास या उस अवधि के कारावास का दण्ड है जो दस वर्ष तक का हो सकता है तथा जुर्माना।

(ii) यदि कार्य इस ज्ञान से किया जाता है कि इससे मृत्यु कारित होना संभाब्य है लेकिन मृत्यु या इस प्रकार की शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभाब्य है कारित करने के किसी आशय के बिना, दण्ड उस अवधि का कारावास है जो 10 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना से या दोनो से।

मा. न्यायालय ने **जागृति देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2009) 14 एससीसी 771** में संप्रकाशित के मामले में अभिनिर्धारित किया था कि अभिव्यक्ति आशय तथा ज्ञान सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के होने की अभिधारणा करता है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तथा यदि आशय तथा ज्ञान होता है- तब यह धारा 304 के पहले भाग के अधीन मामला होगा तथा यदि यह शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित करने के ज्ञान का मात्र मामला होता है न कि आशय का, तब यह धारा 304 के दूसरे भाग का मामला होगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग । से यह आगे प्रतीत होता है कि धारा 304 के पहले भाग के अन्तर्गत आनेवाले मामले के लिए, आशय का तत्व आवश्यक है। आशय द्वारा यह प्रश्नगत परिणामो के अपेक्षा से अभिप्रेत है तथा इसलिए आशय में आवश्यक रूप से पहले से हत्या करने का पूर्वचिन्तन या विचार अन्तर्वलित नही होता है। यदि कुछ कार्य करने वाला व्यक्ति (1) मृत्यु को इसके परिणाम होने की अपेक्षा करता है या (2) खतरनाक शारीरिक क्षति की अपेक्षा करता है जिससे मृत्यु कारित होना संभाब्य है या (3) जानता है कि मृत्यु का इसका परिणाम होना संभाब्य तथा प्रत्येक मामले में मृत्यु होती है, पहले दोनो मामलो में इसका आशय तथा तीसरे उल्लिखित में ज्ञान तथ्य है।

10. सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2017) 5 एससीसी 796 में संप्रकाशित के मामले में पैरा 13 में मा. शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है जिसे यहाँ नीचे निर्दिष्ट किया जा रहा है।

"13. भा.द.स. की धारा 300 का अपवाद 4 किसी पूर्वचिन्तन के अभाव में लागू होता है। स्वयं अपवाद के शब्दावली से पूर्णतया स्पष्ट है। अपवाद अनुध्यात करता है कि अचानक लड़ाई अचानक झगड़े पर आवेश की तीव्रता पर आरंभ होगा। भा.द.सं. की धारा

300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किये गये कार्यो को आच्छादित करता है। उक्त अपवाद प्रकोपन के मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद द्वारा आच्छादित नही है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त रहा होगा। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योकि दोनों में पूर्वचिंतन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्मसंयम की पूर्णतया हानि होती है, अपवाद 4 के मामले में मात्र यह कि आवेश की तीव्रता जो व्यक्ति के संतुलित विवेक को दूषित करता है तथा इससे कार्य करने का आग्रह करता है जिसे ये अन्यथा नही करेगे। अपवाद 4 में प्रकोपन है जैसा अपवाद 1 में है लेकिन की गई क्षति उस प्रकोपन का प्रत्यक्ष परिणाम नही होता हैष वास्तव में, अपवाद 4 उन मामलो से संबंधित है जिसमें यद्यपि प्रहार किया गया हो सकता है या विवाद के उत्पत्ति में कुछ प्रकोपन दिया गया हो सकता है या जिस भी तरह से झगड़े की उत्पत्ति हुई हो, फिर भी दोनो पक्षकारो का पश्चातवर्ती आचरण अपराध के संबंध में इन्हे समान आधार पर रखता है। "अचानक लड़ाई" में परस्पर प्रकोपन तथा प्रत्येक तरफ से प्रहार विवक्षित है। किया गया मानव वध तत्पश्चात स्पष्ट रूप से एक पक्षीय प्रकोपन के संबंध में अनुमार्गणीय नही होता है, न ही इस प्रकार के मामलो में सम्पूर्ण दोषारोपण एक पक्ष पर किया जा सकता है। क्योकि यदि ऐसा है तो अधिक समुचित तरीके से प्रयोज्य अपवाद अपवाद 1 होगा। लड़ाई के संबंध में पूर्व विचार विमर्श या अवधारण नही होता है। यदि लड़ाई अचानक होती है, जिसके लिए दोनो पक्षकारो पर कमोवेश दोषारोपण किया जाता है। हो सकता है कि इनमें एक आरंभ करता है लेकिन यदि दूसरे ने इसे अपने आचरण दवारा गंभीर नही बनाया था यह गंभीर मोड़ न लिया होता जैसा इसने लिया था। तत्पश्चात परस्पर प्रकोपन तथा बिगाड़ होता है तथा दोषारोपण के हिस्से को बाँटना कठिन होता है जो प्रत्येक लड़ने वाले को दिया जाता है।

11. इस समय पर, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभियुक्त का "आशय" तथा "ज्ञान" व्यक्तिपरक तथा अदृश्य मनोदशा होता है तथा इनके होने को परिस्थितियो से समझा जाना चाहिए जैसे प्रयुक्त हथियार, हमले की भीषणता, क्षतियो की बहुलता तथा सभी अन्य परिवर्ती परिस्थितियाँ। संहिता के बनाने वालो ने जानबूझकर शब्दावली "आशय" तथा "ज्ञान" का उपयोग किया था तथा यह स्वीकार किया जाता है कि परिणामो के बारे में ज्ञान जिसके परिणाम स्वरूप कार्य किया जा सकता है वही चीज नही होती है जैसा आशय कि इस प्रकार परिणाम घटित होना चाहिए। सर्वप्रथम, जब कार्य व्यक्ति

द्वारा किया जाता है, यह उपधारित किया जाता है कि इसे सजग होना चाहिए था कि कतिपय विनिर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होगा या हो सकता है। लेकिन यह ज्ञान मात्र जागरूकता है तथा वही चीज नही है जैसा आशय कि इस प्रकार के परिणामो को घटित होना चाहिए। ज्ञान की तुलना में आशय के लिए परिणामो के मात्र दूरदर्शिता की अपेक्षा कुछ और आवश्यक होता है, अर्थात, विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीज का अर्थपूर्ण किया जाना।

12. नन्कऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 3 एससीसी 317 में संप्रकाशित मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आशय ज्ञान से भिन्न होता है। आशय ही है जिससे कार्य किया जाता है जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने में अंतार करता है कि क्या अपराध सदोष मानववध है या हत्या, त्वरित संदर्भ हेतु. पैरा 11 को यहाँ नीचे उत्कथित तथा निर्दिष्ट किया जा रहा हैः-

> *"11. आशय हेतु से भिन्न होता है। आशय ही है जिससे कार्य किया जाता है जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने में अंतर करता है कि क्या अपराध सदोष मानववध है या हत्या। भा.द.सं. की धारा 300 के तीसरे खण्ड में दो भाग शामिल है। पहले भाग के अन्तर्गत यह साबित किया जाना चाहिए कि क्षति पहुँचाने का आशय था जो मौजूद है तथा दूसरे भाग के अन्तर्गत यह साबित किया जाना चाहिए कि क्षति मृत्यु कारित करने के प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त था। भा.द.सं. की धारा 300 के तीसरे खण्ड पर विचार करते हुए तथा बिरसा सिंह मामला [बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1958 एससी 465] में, जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)[जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)(1991) 2 एससीसी 32] में बताये गये सिद्धांतो को दोहराते हुए पैरा 12 में इस न्यायालय ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया हैः (एससीसी पे. 41)*
>
> *"12. इन संप्रेक्षणो को निर्दिष्ट करते हुए, इस न्यायालय के खण्डपीठ ने जगरूप सिंह मामला [जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1981) 3 एससीसी 16] में इस प्रकार संप्रेक्षित किया थाः (एससीसी पे. 620 पैरा 7)*
>
> *"7. विवियन बोस न्यायमूर्ति का यह संप्रेक्षण आप्त निर्णय हो गया है। खण्ड तृतीय के प्रयोज्यता हेतु बिरसा सिंह मामला [बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य*

एआईआर 1958 एससी 465] में अधिकथित कसौटी अब हमारे विधिक प्रणाली में गहरा है तथा विधि शासन का हिस्सा बन गया है।"

13. खण्डपीठ ने आगे अभिनिर्धारित किया कि ***बिरसा सिंह मामला [बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एसाईआर 1958 एससी 465]*** में निर्णय का अनुसरण पूर्णतया निर्देशक सिंद्धांतो को अधिकथित किये जाने के नाते किया गया है। इन दोनो मामलो में यह स्पष्ट रूप से अधिकथित किया गया है कि अभियोजन को साबित करना चाहिए (1) कि शारीरिक क्षति मौजूद है (2) यह कि क्षति मृत्यु कारित करने के प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त है (3) यह अभियुक्त का आशय यह विशेष क्षति पहुँचाने का था, अर्थात यह आकास्मिक या अनाशयित नही था या कि कुछ अन्य प्रकार की क्षति आशयित था। दूसरे शब्दो में खण्ड तीसरे में दो भाग शामिल है। पहला भाग यह है कि क्षति पहुँचाने का आशय था जिसे मौजूद पाया जाता है तथा दूसरा भाग कि उक्त क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। पहले भाग में अभियोजन को दिये गये तथ्यो तथा परिस्थितियो से यह साबित करना पड़ता है कि अभियुक्त का आशय इस विशेष क्षति को कारित करने का था। जबकि दूसरे भाग में क्या यह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था, विषय परक जाँच है तथा यह क्षति के विशिष्टियो से अनुमान या निगमन का मामला है। धारा 300 के खण्ड तीसरे की भाषा दो स्थानो पर आशय के बारे में कहता है तथा प्रत्येक में मामले को इस खण्ड में आने से पहले अभियोजन द्वारा साबित किया जाना चाहिए। अभियुक्त का "आशय" तथा "ज्ञान" व्यक्ति परक तथा अदृश्य मनोदशा है तथा इनके होने को परिस्थितियो से समझा जाना चाहिए जैसे प्रयुक्त हथियार, हमले की भीषणता, क्षतियो की बहुलता तथा सभी अन्य परिवर्ती परिस्थितियाँ। संहिता के रचयिताओं ने जानबूझकर शब्दावली आशय तथा ज्ञान का प्रयोग किया था तथा यह स्वीकार किया गया है कि परिणामो का ज्ञान जिसके परिणामस्वरूप कार्य किया जा सकता है वही चीज नही है जैसा आशय कि इस प्रकार के परिणामो को घटित होना चाहिए। सर्वप्रथम जब कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यह उपधारित किया जाता है कि इसे यह जानना चाहिए था कि कतिपय विनिर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होगा या हो सकता है। लेकिन यह ज्ञान मात्र जागरूकता है तथा वही चीज नही है जैसा आशय कि इस प्रकार का परिणाम घटित होना चाहिए। ज्ञान की तुलना में आशय के लिए

परिणामो के मात्र दूरदर्शिता से कुछ और आवश्यक है अर्थात विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीज का अर्थपूर्ण किया जाना।

14. मा.शीर्ष न्यायालय ने सुरिन्दर कुमार बनाम संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ(1989) 2 एससीसी 217 में संप्रकाशित मामले में पूर्वोक्त स्थिति पर विचार किया है जिसमें पैरा 6 तथा 7 सुसंगत है जिसे यहाँ नीचे निर्दिष्ट किया जा रहा हैः-

> *"6. धारा 300 का अपवाद 4 निम्नवत पठित हैः*
>
> *अपवाद 4 :- अपराधिक मानववध हत्या नही है यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।*
>
> *स्पष्टीकरण- ऐसी दशाओ में यह तत्वहीन है कि कौनपक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है। इस अपवाद का अवलंब लेने के लिए चार शर्तो को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात (i) यह अचानक लड़ाई थी (ii) कोई पूर्वचिन्तन नही था (iii) कार्य आवेश के तीव्रता में किया गया था (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नही लिया था या क्रुर तरीके से कार्य नही किया था। झगड़े का कारण सुंसंगत नही होता है न ही यह सुसंगत होता है कि किसने प्रकोपन दिया था या हमला आरंभ किया था। घटना के दौरान कारित घावो की संख्या निर्णायक कारक नही होता है लेकिन महत्वपूर्ण यह होता है कि घटना अचानक तथा अपूर्वचिन्तित होनी चाहिए थी तथा अपराधी द्वारा क्रोध में कार्य किया जाना चाहिए था वास्तव में, अपराधी द्वारा कोई अनुचित लाभ नही लिया जाना चाहिए था या क्रूर तरीके से कार्य नही किया जाना चाहिए था। जहाँ, अचानक झगड़े पर व्यक्ति आवेश की तीव्रता में हथियार उठाता है जो हस्तचालित है तथा क्षतियाँ कारित करता है, जिसमें एक घातक साबित होता है, वह इस अपवाद के लाभ का हकदार होगा परन्तु इसने क्रूरतापूर्वक कार्य न किया हो।*

15. **पुली चेरला नागराजू बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (2006) 11 एससीसी 444** में, जिसमें मा. शीर्ष न्यायालय ने यह ज्ञात करने के लिए सुसंगत कुछ परिस्थितियो की गणना किया था कि क्या अभियुक्त की ओर से मृत्यू कारित करने के लिए कोई आशय था। न्यायालय ने निम्नवत संप्रेक्षित किया :-

"29. इसलिए, न्यायालय को सावधानी तथा सतर्कता के साथ आशय के प्रमुख प्रश्न का विनिश्चत करने के लिए अग्रसर होना चाहिए, क्योकि यह विनिश्चत करेगा कि क्या मामला धारा 302 या धारा 304 भाग । या 304 भाग॥ के अधीन आता है। कई नगण्य या महत्वहीन मामले -फल का तोड़ना, भूले भटके पशु, बच्चो का झगड़ा, अश्लील शब्दो का कहना या आपत्तिजनक दृष्टि के कारण भी झगड़े या गुट में भिड़त हो सकते है जिसका चरम मृत्यु में होता है। प्रतिशोध, लालच , ईषर्या या आशंका जैसा आम हेतु इस प्रकार के मामलो में पूर्णतया अविदयमान हो सकता है। कोई आशय नही हो सकता है। कोई पूर्वचिन्तन नही हो सकता है। वास्तव में अपराधिता भी नही हो सकता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर, हत्या के मामले हो सकते है जहाँ अभियुक्त ऐसे मामले को प्रस्तुत करने का प्रयासकरते हुए हत्या के लिए शास्ति से बचने का प्रयत्न करता है कि मृत्यु कारित करने का कोई आशय नही था। यह सुनिश्चित करना न्यायालयो का काम है कि धारा 302 के अधीन दण्डनीय हत्या के मामलो को धारा 304 भाग । /॥ के अधीन दण्डनीय अपराधो में बदला न जाय या हत्या के कोटि में न आने वाले सदोष मानववध के मामलो को धारा 302 के अधीन दण्डनीय हत्या के रूप में माना जाय। मृत्यु कारित करने के आशय को सामान्यतया अन्य परिस्थितियो में निम्न कुछ या अनेक के संयोजन से समझा जा सकता है (i) प्रयुक्त हथियार की प्रकृति (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा लिया गया था या घटना स्थल से उठाया गया था (iii) क्या प्रहार का लक्ष्य शरीर का महत्वपूर्ण भाग है (iv)क्षति कारित करने में प्रयुक्त बल की मात्रा (v) क्या कार्य अचानक झगड़ा या अचानक लड़ाई के अनुक्रम में था या सभी लड़ाई से मुक्त था (vi) क्या घटना संयोग से घटित होती है या क्या कोई पूर्वचिन्तन था (vii) क्या कोई पूर्व रंजिश थी या क्या मृतक अजनबी था (viii) क्या कोई गंभीर तथा अचानक प्रकोपन था तथा यदि ऐसा तो इस प्रकार के प्रकोपन का कारण (ix)क्या यह आवेश की तीव्रता में था (x) क्या क्षति पहुँचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ लिया है या क्रूर तथा अप्रायिक रीति से कार्य किया है (xi) क्या अभियुक्त ने एक प्रहार किया था या कोई प्रहार किया था। वास्तव में परिस्थितियो की उपरोक्त सूची सम्पूर्ण नही है

तथा अकेले मामलो के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती है जो आशय के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती है।(बल दिया गया)

16. हालिया में, मा. शीर्ष न्यायालय ने पूर्वीक्त विवाद्यक पर विभिन्न निर्णयो पर विचार करते हुए ***अनवाझगन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वार अभ्यावेदित 2023 एससीसी अनलाइन एससी 857*** में संप्रकाशित मामले के दिशानिर्देशो को अधिकथित किया है जिसे निम्नवत् उत्कथित किया जाता है:-

"66.पूर्वीक्त विवेचना से ज्ञेय विधि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतो को इस प्रकार सार संक्षेपित किया जा सकता है:-

(1) जब न्यायालय का सामना इस प्रश्न से होता है। कि कौन सा अपराध अभियुक्त द्वारा किया कहा जा सकता है, असली कंसौटी कार्य करने में अभियुक्त के आशय या ज्ञान को ज्ञात करना होता है। यदि आशय या ज्ञान इस प्रकार का था जैसा भा.द.सं. की धारा 300 के खण्ड (1) से (4) में वर्णित है, कार्य हत्या होगा यद्यपि मात्र एक क्षति कारित की गई थी-

(2) जब भी अभियुक्त का आशय या ज्ञान भा.द.सं. की धारा 300 के खण्ड (1) या (4) में आ सकता है, अभियुक्त का कार्य जो अन्यथा हत्या होगा, हत्या के कार्यक्षेत्र से प्राप्त किया जायेगा, यदि अभियुक्त का मामला इस धारा में परिगणित पाँच अपवादो में से किसी एक को आकृष्ट करता है। इन अपवादो में किसी में आने वाले मामले की दशा में, अपराध भा.द.सं. की धारा 304 के भाग । में आने वाले हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानव वध होगा, यदि अभियुक्त का मामला इस प्रकार का है जिससे यह भ.द.सं. की धारा 300 के खण्ड (1) से (3) में आता हो। यह धारा 304 के भाग ॥ के अधीन अपराध होगा यदि मामला इस प्रकार का है जिससे यह भा.द.सं. की धारा 300 के खण्ड (4) में आता हो। पुनः अभियुक्त का आशय तथा ज्ञान इस प्रकार का हो सकता है कि मात्र भा.द.सं. की धारा 299 का दूसरा या तीसरा भाग आकृष्ट हो सकता है लेकिन भा.द.स. की धारा 300 का कोई खण्ड नही। इस स्थितिमें भी, भा.द.सं. की धारा 304 के अधीन अपराध हत्या की कोटि में न जाने वाला सदोष मानव वध होगा। यह उस धारा के भाग । के अधीन अपराध होगा, यदि मामला धारा

299 के दूसरे भाग में आता है, जबकि यह धारा 304 के भाग II के अधीन अपराध होगा यदि मामला भा.द.सं. की धारा 299 के तीसरे भाग में आता है।

(3) इसे दूसरे शब्दो में प्रस्तुत किया जाता है, यदि अभियुक्त व्यक्ति का कार्य सदोष मानववध के मामले के पहले दो खण्डो में आता है जैसा भा.द.सं. की धारा 299 में वर्णित है यह धारा 304 के पहले भाग में दण्डनीय होता है। यदि, फिर भी, यह तीसरे खण्ड में आता है, यह धारा 304 के दूसरे भाग के अन्तर्गत दण्डनीय होता है। इसलिए असल में इस धारा का पहला भाग तब लागू होगा जब दूषित आशय होता है जबकि दूसरा भाग तब लागू होगा जब इस प्रकार का आशय नही होता है, लेकिन दूषित ज्ञान होता है।

(4) भले ही एक क्षति पहुँचाई जाती है, यदि यह विशेष क्षति आशयित था तथा यथार्थ में, यह क्षति मृत्यु कारित करने के प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त था, भा.द.सं. की धारा 300 के खण्ड तीसरे की शर्ते पूरा होती है तथा अपराध हत्या होगा।

(5) भा.द.सं. की धारा 304 निम्न श्रेणी के मामलो में लागू होगा (I) जब मामला धारा 300 के खण्डो के एक या अन्य के अन्तर्गत आता है, लेकिन यह उस धारा के अपवादो में से एक द्वारा आच्छादित होता है। (II) जब कारित क्षति संभावना के अधिक मात्रा के बारे में नही होता है जो मृत्यू कारित करने के प्रकृति के मामुली अनुक्रम में अभिव्यक्ति "पर्याप्त" द्वारा आच्छादित होता है कि बल्कि यह संभावना के कमतर मात्रा के बारे में होता है जिसे सामान्यतया "मृत्यू कारित करने के लिए संभाब्य" क्षति के रूप में कहा जाता है तथा मामला भा.द.सं. की धारा 300 के खण्ड (2) में नही आता है (III) जब कार्य इस ज्ञान से किया जाता है कि मृत्यु का होना संभाब्य है लेकिन मृत्यु कारित करने के लिए संभाब्य क्षति या मृत्यु कारित करने के आशय के बिना।

इसे और सार संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, भा.द.सं. की धारा 304 के दोनो भागो के बीच में अन्तर यह है कि पहले भाग के अन्तर्गत हत्या का अपराध सर्वप्रथम साबित किया जाता है तथा तत्पश्चात अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 300 के अपवादो में एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के अन्तर्गत, हत्या का अपराध कभी भी पूर्णतया साबित नही किया जाता है।

इसलिए, अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 304 के दूसरे भाग के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराने के प्रयोजन हेतु, अभियुक्त द्वारा अपना मामला भा.द.सं. की धारा 300 के अपवादो में से एक के अन्दर लाना आवश्यक नही होता है।

(6) शब्द "संभाब्य" का मतलब संभवतः है तथा यह और संभवतः से भिन्न होता है। जब घटना की गुंजाइश इसके घटना न होने की अपेक्षा से अधिक या और अधिक होता है, हम कह सकते है कि चीजे संभवतः घटित होगी। निष्कर्ष पर पहुँचने में न्यायालय को स्वयं को अभियुक्त के स्थिति में रखना चाहिए तथा तत्पश्चात विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त को ज्ञान था कि कार्य द्वारा इसका मृत्यु कारित करना संभाब्य था।

(7) सदोष मानव वध (भा.द.सं. की धारा 299) तथा हत्या (भा.द.सं. की धारा 300) के बीच के अंतर को भा.द.सं. की धारा 302 के अधीन आरोप पर विचार करते हुए हमेशा सावधानीपूर्वक ध्यान में रखना चाहिए। विधिविरूद्ध मानववध के श्रेणी में, हत्या की कोटि में आने वाले सदोष मानव वध तथा ऐसे अपराध जो हत्या कि कोटि में नही आते है के दोनो मामले आएगे। सदोष मानव वध हत्या नही होता है जब मामले को भा.द.सं. की धारा 300 के पाँचो अपवादो में लाया जाता है। लेकिन, भले ही उक्त पाँचो अपवादो में किसी का अभिवचन नही क्या गया है या अभिलेख पर साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया साबित किया गया है, अभियोजन को फिर भी हत्या के आरोप को कायम रखने के लिए मामले को भा.द.सं. की धारा 300 के चार खण्डो में से किसी के अन्तर्गत लाना विधि के अन्तर्गत आवश्यक होना चाहिए। यदि अभियोजन भा.द.सं. की धारा 300 के चार खण्डो अर्थात प्रथम से चतुर्थ में किसी एक को साबित करने में इस भार का निर्वहन करने में असफल रहता है तो हत्या का आरोप नही बनेगा तथा मामला हत्या की कोटि में न आने वाला एक सदोष मानववध हो सकता है ।

(8) न्यायालय को दुराशय के प्रश्न का स्वयं समाधान करना चाहिए। यदि धारा 300 के खण्ड तीसरे का प्रयोग किया जाना चाहिए तो हमलावर द्वारा मृतक पर पहुचाये गये विशेष क्षति पर विचार करना चाहिए। संघटक को बिरले ही प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। अपरिहार्य रूप से यह मामले के साबित परिस्थितियो से निकाले जाने वाले निष्कर्ष का मामला है। न्यायालय को आवश्यक रूप से प्रयुक्त हथियार के प्रकृति, क्षतिग्रस्त शरीर के अंग, क्षति के विस्तार, क्षति कारित करने में प्रयुक्त बल की

मात्रा, हमले का तरीका , हमले पर विद्यमान तथा पहले के परिस्थितियो को ध्यान में रखना चाहिए।

(9) हत्या करने का आशय एकमात्र आशय नही होता है जो सदोष मानववध को हत्या बनाता है। मृत्युकारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त क्षति या क्षतियाँ कारित करने का आशय सदोष मानववध को हत्या बनाता है यदि मृत्यु को वास्तव में कारित किया गया है तथा इस प्रकार के क्षति या क्षतियाँ कारित करने के आशय का निष्कर्ष कार्य या कार्यो से निकाला जाना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप क्षति या क्षतियाँ कारित की गई है।

(10) जब अभियुक्त द्वारा पहुँचाये गये एक क्षति के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, सामान्य सिद्धांत के रूप में कोई निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का आशय मृत्यु या उस विशेष क्षति जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हुई है कारित करने का नही था। क्या अभियुक्त का अपेक्षित दूषित आशय था या नही, तथ्य का एक प्रश्न है जिसका अवधारण प्रत्येक मामले के तथ्यो पर किया जाना चाहिए।

(11) जहाँ अभियोजन साबित करता है कि अभियुक्त का आशय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या इसे शारीरिक क्षति कारित करने का था तथा आशयित क्षति मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त है, तब भले ही वह एक क्षति पहुँचाता है जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित की मृत्यु होती है, अपराध तब तक भा0 द0 सं0 की धारा 300 के खण्ड तीसरे मे स्पष्ट रूप से नही आता है जब तक एक भी अपवाद लागू नही होता है।

(12) इस प्रश्न के अवधारण मे कि क्या अभियुक्त का ऐसे मामले मे दूषित आशय या दूषित ज्ञान था जहाँ इसके द्वारा एक क्षति पहुँचाई जाती है तथा यह क्षति मृत्यु कारित करने के प्रकृति के मामूली अनुक्रम मे पर्याप्त है, तथ्य कि कार्य अचानक झगड़े या लड़ाई मे पूर्वचिन्तन के बिना किया गया है या कि परिस्थितियाँ यह न्याय संगत ठहराती है कि क्षति आकस्मिक या आशयित थी या कि इसका विचार केवल सामान्य क्षति का था, दूषित ज्ञान के निष्कर्ष की ओर जे जायेगा तथा अपराध भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग-II के अधीन होगा।

17. विधि के प्रतिपादना के पूर्वोक्त विवेचना के पृष्ठभूमि मे, इस न्यायालय को वर्तमान मामले मे निम्न विवाद्यको पर विचार करना है:-

(i) क्या सामग्री जैसा विचारण के अनुक्रम मे आया है भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन किये गये अपराध के संघटक को आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है? या

(ii) क्या मामला कथित तौर पर भारतीय दण्ड संहिता के धारा 300 के अपवाद के अधीन आच्छादित है? या

(iii) क्या तथ्यात्मक पहलू के आधार पर, मामला धारा 304 के भाग-I या इसके भाग-II के कार्यक्षेत्र मे आयेगा? या

(iv) क्या अकाट्य साक्ष्यों के अभाव में अपीलार्थीगण दोषमुक्ति के हकदार है?

18. चूँकि सभी पूर्वोक्त विवाद्यक जटिल तरीके से जुड़े है, इसका विनिश्चय एतस्मिन् नीचे इन पर एक साथ विचार करते हुए किया जा रहा है।

19. विधि सुस्थापित है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप साबित करने के लिए सदोष मानववध जैसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के अधीन उपबंधित है हत्या की कोटि मे आने वाले जैसा भा0 द0 स0 की धारा 300 के अधीन उपबंधित है तथा हत्या की कोटि मे न आने वाले जैसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन उपबंधित है के संघटको पर विचार करना न्यायालय का परम कर्तव्य है।

20. धारा 299 भा0 द0 सं0 सदोष मानववध के बारे में बताता है जिसमे यह अनुवद्ध किया गया है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या इस प्रकार की शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है या इस ज्ञान से कि इसके द्वारा इस प्रकार के कार्य द्वारा मृत्यु कारित करना संभाव्य है कार्य करते हुए मृत्यु कारित करता है, सदोष मानववध का अपराध करता है। इस प्रकार धारा 299 सदोष मानववध के अपराध को परिभाषित करता है जिसमे कार्य करना शामिल है - (क) मृत्यु कारित करने के आशय से (ख) इस प्रकार की शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है (ग) इस ज्ञान से कि कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है। धारा 299 के संघटक के रूप मे ''आशय'' तथा ''ज्ञान'' सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के होने की अभिधारणा करता है तथा यह मानसिक दशा अपराध के लिए आवश्यक विशेष दुराशय है। तीसरे शर्त का ज्ञान व्यक्ति के मृत्यु के संभावना या ज्ञान को अनुध्यात करता है।

21. मा0 शीर्ष न्यायालय ने जयराज बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1976 एससी 1579 मे संप्रकाशित मामले में पूर्वोक्त तथ्य पर विचार करते हुए पैरा 32 तथा 33 मे अभिनिर्धारित किया गया है जिसे यहाँ नीचे उत्कथित किया जा रहा है:

"32. इस प्रयोजन हेतु हमे धारा 299 का अनुसरण करना है जो सदोष मानववध को परिभाषित करता है। इस अपराध मे कार्य का किया जाना शामिल हैं;

(क) मृत्यु कारित करने के आशय से या

(ख) इस प्रकार की शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। या

(ग) इस ज्ञान से कि कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है।

33. जैसा अंदा बनाम राजस्थान राज्य (एआईआर 1966 एससी 148: 1966 क्रिएलजे 171) मे इस न्यायालय द्वारा बताया गया था कि धारा 299 के संघटको मे "आशय" तथा "ज्ञान" सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के होने की अभिधारणा करता है तथा यह मानसिक दशा अपराध के लिए आवश्यक विशेष दुराशय है। पहले दोनो शर्तो मे दूषित आशय अपहानि उठाये व्यक्ति के आशयित मृत्यु या क्षति का साशय कारित किया जाना जिससे इसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है को अनुध्यात करता है। तीसरे शर्त मे ज्ञान व्यक्ति के मृत्यु के संभावना के ज्ञान को अनुध्यात करता है।

22. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे विधान मण्डल ने दो पृथक पारिभाषिक शब्दावली "आशय" तथा "ज्ञान" का प्रयोग किया है तथा शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है के आशय से किये गये कार्य हेतु तथा इस ज्ञान से किये गये कार्य हेतु पृथक दण्डो का उपबंध किया गया है कि इसके कार्य से इस प्रकार की शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है कारित करने के आशय के बिना मृत्यु कारित होना संभाव्य है, यह धारित करना उचित होगा कि "आशय" तथा "ज्ञान" की बराबरी एक दूसरे से नही की जा सकती है। यह भिन्न बातो का संकेत देता है। कभी-कभी, यदि परिणाम इतना स्पष्ट है यह हो सकता है कि ज्ञान से आशय की उपधारणा की जा सकती है। लेकिन यह मतलब नही होगा कि "आशय" तथा "ज्ञान" एक ही है। अपेक्षित आशय का अवधारण

करते समय या निष्कर्ष निकालते समय एक मात्र ''ज्ञान'' ध्यान मे रखे जाने वाले परिस्थितियो मे एक परिस्थिति होगा।

23. इस प्रकार सदोष मानववध तथा हत्या के अपराध को परिभाषित करते हुए भा0द0सं0 के रचयिताओ ने अधिकथित किया कि अपेक्षित आशय या ज्ञान का लांछन अभियुक्त पर इसे सदोष मानववध या हत्या जैसी भी स्थिति हो के अपराध हेतु इसे दोषी ठहराने के लिए लगाया जाना चाहिए जब इसने कार्य किया था जिससे मृत्यु कारित हुई थी।

24. भा0द0सं0 के निर्माताओ ने जानबूझकर दो शब्दो 'आशय' तथा 'ज्ञान' का प्रयोग किया था तथा यह स्वीकार करना चाहिए कि निर्मातागण इन दोनो अभिव्यक्तियो के बीच अंतर निकालना चाहते थे। परिणामो का ज्ञान जिसके परिणाम स्वरूप कार्य किया जा सकता है वही चीज नही है जैसा आशय कि इस प्रकार का परिणाम घटित होना चाहिए। उन मामलो के सिवाय जहाँ यह साबित करने के लिए दुराशय आवश्यक नही होता है कि व्यक्ति को कतिपय ज्ञान था, इसे सजग होना चाहिए था कि कतिपय विनिर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होगा या हो सकता है। (रसेल आन क्राइम, वारहवाँ संस्करण, वैल्यूम 1 पेज 40)

25. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के दृष्टिगत, धारा 304 भाग-II के अधीन आरोप विरचित करने के लिए अभियोजन द्वारा भरोसा की गई सामग्री से कम से कम प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलना चाहिए कि अभियुक्त ने कार्य किया है जिसने कम से कम इस प्रकार के ज्ञान से मृत्यु कारित किया है कि इस प्रकार के कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है ।

26. मा0 शीर्ष न्यायालय ने केसुव महिन्द्रा बनाम म0 प्र0 राज्य (1996) 6 एससीसी 129 मे संप्रकाशित मे निम्नवत धारित किया है पैरा 20 जो यहाँ नीचे पठित है:-

> *''20.--- मैं सर्वप्रथम भा0 द0 सं0 की धारा 304 भाग-II के प्रमुख प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोपो पर विचार करेगे। धारा 304 भाग-II के अवलोकन से यह प्रदर्शित होता है कि संबंधित अभियुक्त को हत्या की कोटि मे न आने वाले सदोष मानववध के अपराध हेतु इस प्रावधान के अन्तर्गत आरोपित किया जा सकता है तथा जब इस प्रकार आरोपित किये जाने पर यदि यह अभिकथित किया जाता है कि संबंधित अभियुक्त का कार्य इस ज्ञान से किया गया है कि इससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है लेकिन मृत्यु कारित*

करने या इस प्रकार की शारीरिक क्षति कारित करने के किसी आशय के बिना जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है आरोपित अपराध धारा 304 भाग प्प् के अधीन आयेगा। फिर भी, धारा 304 भाग-II के अधीन किसी आरोप को विरचित किये जा सकने के पहले, अभिलेख पर सामग्री को कम से कम प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित करना चाहिए कि अभियुक्त सदोष मानववध का दोषी है तथा इसके द्वारा अभिकथित रूप से किया गया कार्य सदोष मानववध के तुल्य होना चाहिए। फिर भी, यदि संबंधित अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकार का आरोप विरचित करने के लिए भरोसा की गई सामग्री प्रथम दृष्टया यह संकेत देते हुए भी कम पड़ता है कि अभियुक्त सदोष मानववध के अपराध का दोषी प्रतीत होता है धारा 304 भाग-I या भाग-II असंलग्न होगा। इस संबंध मे हमे दण्ड संहिता 1860 की धारा 299 को ध्यान मे रखना है जो सदोष मानववध को परिभाषित करता है। यह अधिकथित करता है कि:-

'जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है।

परिणाम स्वरूप, धारा 304 भाग-II के अधीन आरोप विरचित करने के लिए अभियोजन द्वारा भरोसा की गई सामग्री को कम से कम प्रथम दृष्टया यह संकेत देना चाहिए कि अभियुक्त ने कम से कम इस प्रकार के ज्ञान से ऐसा कार्य किया था जिससे मृत्यु कारित हई थी कि इसके इस प्रकार के कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य था .....''

27. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 हत्या के बारे मे कहता है जिसके अन्तर्गत यह अनुवद्ध किया गया है कि एतस्मिन्पश्चात वर्जित मामलो के सिवाय सदोष मानववध हत्या है यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की जाती है मृत्यु कारित करने के आशय से की गई है या दूसरा, यदि इसे इस प्रकार के शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जैसा अपराधी जानता है कि इससे व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभाव्य है जिसे अपहानि कारित की गई है या तीसरा, यदि इसे किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है तथा पहुँचाये जाने के लिए आशयित शारीरिक

क्षति मृत्यु कारित करने के प्रकृति के मामूली अनुक्रम मे पर्याप्त है या चौथा, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न खतरनाक है कि इसे सभी संभावना मे मृत्यु कारित करना चाहिए या इस प्रकार की शारीरिक क्षति जिससे मृत्युकारित होना संभाव्य है तथा मृत्यु या पूर्वोक्तानुसार इस प्रकार की क्षति कारित करने के जोखिम को उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना इस प्रकार का कार्य करता है।

28. इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्ड लागू नही होगा यदि ऊपर उल्लिखित किसी शर्त को पूरा नही किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि अभियुक्त ने किसी की साशय हत्या नही किया है तब हत्या को साबित नही किया जा सकता है। इसके अलावा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 हत्या के अपराध हेतु कतिपय अपवादो का उल्लेख करता है जो निम्नवत है:-

क. यदि व्यक्ति को अचानक अन्य पक्षकार द्वारा प्रकोपित किया जाता है तथा अपना आत्म संयम खो देता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति जिसने इसे प्रकोपित किया था की मृत्यु कारित करता है, यह परन्तुक जैसा उपवंधित है के अधीन हत्या के तुल्य नही होगा।

ख. जब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अन्तर्गत व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जिसके विरूद्व इसने किसी पूर्वचिन्तन तथा आशय के बिना इस अधिकार का प्रयोग किया है।

ग. यदि लोक सेवक, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए तथा विधिपूर्ण आशय रखते हुए व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है।

घ. यदि इसे अचानक झगड़े के वाद आवेश की तीव्रता मे अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन के बिना तथा अपराधी द्वारा अनुचित लाभ लिये बिना या क्रूर अथवा अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया जाता है।

ड़. सदोष मानववध हत्या नही है जब व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाती है, अठारह वर्ष की आयु से अधिक होता है, की मृत्यु होती है या अपने स्वयं के सहमति से मृत्यु का जोखिम लेता है।

29. ऊपर उल्लिखित ये सभी अपवाद धारा 304 के कार्य क्षेत्र मे आयेगे तथा हत्या की कोटि मे न आने वाले सदोष मानववध के रूप मे कहा जायेगा।

30. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानदण्ड जिसका अनुसरण हत्या के अपराध के करने के बारे मे व्यक्ति को दोषसिद्ध करते समय किया जाना चाहिए भिन्न होगा यदि हत्या हत्या की कोटि मे आने वाले सदोष मानववध के लपेटे मे आता है तथा यह भिन्न होगा यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अधीन उत्कीर्ण अपवाद के कार्यक्षेत्र के बाहर के अनुसार हत्या करने के आशय से किया जाता है।

31. मामले को समझने के लिए मानको पर विचार मा0 शीर्ष न्यायालय द्वारा सायाजी हनमत वौकार बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2011 एससी 3172 के मामले मे किया गया है जिसक अन्तर्गत मामले के परिस्थितियों मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कार्य अचानक झगड़े मे पूर्वचिन्तन के बिना किया जाता है तथा यदि अपराधी कोई अनुचित लाभ नही लेता है या क्रूर अथवा अप्रायिक रीति से कार्य नही करता है, तब अपवाद 4 आकृष्ट होगा।

32. विधि सुस्थापित है कि भा0द0सं0 की धारा 300 के अपवाद 4 को आकृष्ट करने के लिए चार शर्तो को पूरा किया जाना चाहिए अर्थात्:-

    क. इसे अचानक लड़ाई होना चाहिए।

    ख. कोई पूर्वचिन्तन नही है।

    ग. कार्य आवेश की तीव्रता में किया गया था।

    घ. हमलवार ने कोई अनुचित लाभ नही लिया था या क्रूर तरीके से कार्य नही किया था।

33. घटना के दौरान कारित घावो की संख्या निर्णायक कारक नही होता है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि घटना अचानक तथा अपूर्वचिन्तित होनी चाहिए थी तथा अपराध क्रोध मे किया गया होना चाहिए था। वास्तव मे, अपराधी को कोई अनुचित लाभ लिया या क्रूर तरीके से कार्य किया नही होना चाहिए। यदि अचानक झगड़े पर आवेश की तीव्रता मे व्यक्ति हथियार उठाता है जो हस्तचालित है तथा इसके द्वारा क्षतियाँ कारित की जाती है, जो घातक साबित होता है, वह भा0द0सं0 की धारा 300 के इस अपवाद के लाभ का हकदार होगा परन्तु इसने क्रूरतापूर्वक कार्य न किया हो। इस प्रकार जब कभी अचानक लड़ाई तथा संघर्ष का मामला होता है, इस पर विचार भा0 द0 सं0 की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन किया जाना चाहिए।

34. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि मे, यह न्यायालय अब अपवाद 4 या हत्या के प्रावधानो के मुकाबले साक्ष्यो का मूल्यांकन करते हुए विवाद्यक का उत्तर देने के लिए विचारण के अनुक्रम मे अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य की जाँच करने के लिए अग्रसर हो रहा है कि क्या धारा 302 या धारा 304 भाग-I या II के अधीन मामला है।

35. वर्तमान मामले के तथ्यो पर आते है, साक्षीगण के परिसाक्ष्य पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने मृतक की पत्नी अ0सा0 6 के परिसाक्ष्य से पाया है। इसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने इसके पति के सिर तथा घुटने पर टांगी से हमला किया है। मृतक गिर पड़ा था। इसे हास्पिटल ले जाया गया था जहाँ से गढ़वा हास्पिटल भेजा गया था तथा रास्ते मे वह मर गया था।

36. इसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक अपने विकलांग पुत्र अर्थात् अनुज कुमार को पढ़ने के लिए डाट रहा था जिसका विरोध अपीलार्थी द्वारा किया गया था कि क्यो वह लड़के को डाट रहा है तथा इस पर मृतक पर टांगी से हमला किया गया था जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी।

37. पूर्वोक्त बयान का समर्थन अन्वेषण अधिकारी अ0सा0 8 द्वारा भी किया गया है। फिर भी, डाक्टर ने विचार व्यक्त किया है कि मृत्यु कठोर तथा कुंद पदार्थ द्वारा किये गये हमले के कारण कारित हुआ था।

38. अ0सा0 8 जिसने मृतक के शव का मृत्योपरान्त परीक्षण किया था के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है, जिसमे इसने विचार व्यक्त किया है कि मृतक के सिर पर क्षति सं0 (i) से (iii) कठोर तथा कुंद पदार्थ द्वारा कारित किया गया हो सकता है तथा क्षति सं0 (iv) धारदार काटने वाले पदार्थ द्वारा मृतक के बाये घुटने पर कारित की गई थी।

39. इस प्रकार, पूर्वोक्त तथ्य से यह निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमला जिसे अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर किया गया था कुल्हाड़ी के पीछे के तरफ से कारित किया जा सकता है क्योंकि क्षतियाँ जैसा अ0सा0 8 द्वारा मृतक के सिर पर पाया गया था धारदार कटी क्षतियाँ नही थी बल्कि प्रकृति मे विदीर्ण थी। मात्र क्षति सं0 (iv) जिसे मृतक के बाये घुटने पर कारित किया गया था धारदार कटा था।

40. इस प्रकार, पूर्वोक्त तथ्यो से यह स्पष्ट है कि यदि अपीलार्थी का आशय मृतक की हत्या करने का था तब इस प्रकार की परिस्थितियो मे वह कुल्हाड़ी के धारदार तरफ का प्रयोग कर सकता है लेकिन अ0सा0 8 के परिसाक्ष्य के अनुसार यहाँ यह मामला नही है। इस

प्रकार पूर्वोक्त परिस्थितियो से यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का आशय मृतक की हत्या करने का नही है।

41. यह न्यायालय, अ0सा0 6 तथा अ0सा0 8 के परिसाक्ष्य के बहाने अब यह जाँच करने जा रहा है कि वर्तमान मामले को भा0द0सं0 की धारा 302 या भा0द0सं0 की धारा 304 भाग (I) या 304 भाग (II) के श्रेणी के अधीन श्रेणीबद्ध किया जा सकता है तथा पूर्वोक्त मानक के आधार पर, न्यायालय अब मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार करने के लिए अग्रसर हो रहा है।

42. इसमे सर्व सम्मति से, भा0द0सं0 की धारा 300 के अन्तर्गत हत्या की परिभाषा के अनुसार भा0द0सं0 की धारा 302 का संघटक आकृष्ट होता है यदि हत्या मन के पूर्वचिंतन के साथ किया जा रहा है तब निश्चित रूप से यह भा0द0सं0 की धारा 302 के लपेटे मे आयेगा। लेकिन यदि मन का पूर्वचिंतन नही है तथा तत्क्षण संबंधित व्यक्ति द्वारा किये गये प्रहार के कारण मृत्यु कारित की गई थी तब निश्चित रूप से यह भा0 द0 सं0 की धारा 304 के लपेटे मे आयेगा।

43. इसमे इत्तिला देने वाले ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दीनानाथ सिंह पढ़ने के लिए अपने विकलांग पुत्र अनुज कुमार को डाट रहा था जिसका विरोध सत्य नारायण द्वारा किया गया था कि क्यो वह लड़के को डाट रहा है तथा इस पर सत्य नारायण सिंह ने टांगी से हमला किया था जिसके कारण मृतक दीनानाथ सिंह की मृत्यु हुई थी।

44. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है कि मृतक की हत्या करने के लिए अपीलार्थी के मन का पूर्वचिंतन था उलटे इन साक्षीगण का बयान है, विशेष रूप से इत्तिला देने वाले का कि ऐसे समय पर जब इसके विकलांग पुत्र को पढ़ने के लिए डाटा जा रहा था तथा अपीलार्थी द्वारा इसका विरोध किया गया था, तत्पश्चात, सिर तथा घुटने पर टांगी द्वारा हमला किया गया था।

45. अपीलार्थी के इस आचरण से पता चलता है कि मृतक की हत्या करने के लिए मन का पूर्वचितन नही था उलटे ऐसे समय पर जब मृतक अपने विकलांग पुत्र को डाट रहा था जिसके कारण अपीलार्थी ने आपत्ति किया था तथा जब इसका विरोध मृतक द्वारा किया गया था तब इसी पल मृतक पर टांगी से हमला किया गया था जो एक ही संव्यवहार मे है तथा इसलिए, इस निष्कर्ष पर नही पहुँचा जा सकता है कि घटना जो की गई थी भिन्न संव्यवहार के बारे मे है चूँकि इस संबंध मे कुछ नही आया है उलटे इत्तिला देने

वाले के परिसाक्ष्य मे आया है कि मात्र डाटने के समय पर जब मृतक द्वारा विरोध किया गया था, इस पर अपीलार्थी द्वारा हमला किया गया था।

46. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह मामला मन के किसी पूर्वचिंतन के अभाव मे हत्या करने के आशय के श्रेणी मे नही आ सकता है बल्कि यह भा0द0सं0 की धारा 304 भाग (II) के श्रेणी मे आयेगा।

47. इस न्यायालय ने तथ्यो की विवेचना करने के पश्चात आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है तथा इससे पाया है कि विद्धान विचारण न्यायालय मामले के इन पहलूओ का मूल्यांकन करने मे असफल है उलटे विद्धान विचारण न्यायालय ने इत्तिला देने वाले के परिसाक्ष्य पर विचार किया है तथा मन के पूर्वचिंतन के अनुपलब्धता के विवाद्यक की जाँच किये बिना मामले को भा0द0सं0 की धारा 302 के अधीन मानते हुए दोषसिद्धि के निर्णय को पारित किया है।

संकलन:

48. पूर्वोक्त विवेचना तथा न्यायिक निर्णय एवं अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के पृष्ठभूमि मे तथा वर्तमान मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए मेरी राय है कि हमला पूर्वचिन्तित नही था। आगे यह प्रतीत होता है कि भा0द0सं0 की धारा 300 के अपवाद 4 का अवलंव लेने के लिए शर्त को आकृष्ट करने के प्रयोजन हेतु घटना के दौरान कारित घावो की संख्या निर्णायक कारक नही हैं लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि घटना अचानक तथा पूर्व चिन्तित नही होनी चाहिए थी तथा अपराधी द्वारा आवेश की तीव्रता में कार्य किया जाना चाहिए था।

49. इसलिए पूर्वाक्त जैसा एतस्मिन् उपरोक्त निर्दिष्ट है पर आधारित इस न्यायालय का विचार है कि निष्कर्ष जिस पर भा0द0सं0 की धारा 302 के संघटको के प्रयोज्यता के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पहुँचा गया है मे हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

50. तद्नुसार आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक उपांतरित किये जाने की आवश्यकता हे कि अपीलार्थी को भा0द0सं0 की धारा 304 भाग (II) के अधीन दोषसिद्ध किया जाना चाहिए तथा तद्नुसार इसके द्वारा पहले भुगते गये अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया जाता है एवं कारागार अभिरक्षा से तत्काल छोड़े जाने का निदेश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले मे वांछित न हो।

51. वर्तमान दाण्डिक अपील को इस विस्तार तक जैसा ऊपर बताया गया है दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश के उपांतरण के साथ एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

52. लंबित अन्तर्वर्ती आवेदन (आवेदनो), यदि कोई है, को भी निपटाया जाता है।

53. अवर न्यायालय के अभिलेखो के साथ संबंधित न्यायालय को तत्काल इस आदेश/निर्णय को संसूचित किया जाय।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)

मै सहमत हूँ

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव न्यायमूर्ति) **(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)**

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)